



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)  
(सं0 पटना 12) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

3 जनवरी 2019

एस०ओ० 1, दिनांक 3 जनवरी 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 221, दिनांक 06 अगस्त, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- 754, दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, -

- (i) खंड (i) में "31 अगस्त, 2018" शब्द और अंकों के स्थान पर "31 जनवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
- (ii) खंड (iv) में "30 सितंबर, 2018" शब्द और अंकों के स्थान पर "28 फरवरी, 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-4)-31)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

3 जनवरी 2019

एस०ओ० 1, दिनांक 3 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-4)-31)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

*The 3<sup>rd</sup> January 2019*

S.O. 1, dated the 3<sup>rd</sup> January 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Commercial Taxes Department notification No S.O. 221 dated the 06<sup>th</sup> August, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 754, dated the 06<sup>th</sup> August, 2018, namely:

In the said notification, in paragraph 2 ,-

- (i) in clause (i), for the figures, letters and word “31<sup>st</sup> August, 2018”, the figures, letters and word “31<sup>st</sup> January, 2019” shall be substituted;
- (ii) in clause (iv), for the figures, letters and word “30<sup>th</sup> September, 2018”, the figures, letters and word “28<sup>th</sup> February, 2019” shall be substituted.

2. This notification shall come in to force with effect from 31<sup>st</sup> December, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)—31)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 12-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>